



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40225

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5410/2026

रामशब्द

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता

: लाल बिहारी यादव

विपक्षी के लिए अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय कक्ष संख्या -65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि एफ.आई.आर. में पीड़िता ने कहा है कि आवेदक ने शादी का झूठा वादा करके कई वर्षों तक उसके साथ यौन संबंध बनाए, इसके बाद पीड़िता की शादी भी आवेदक से तय हो गई, लेकिन कुछ समय बाद आवेदक और उसके परिवार वालों ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और दहेज की मांग की। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के साथ हुई पहली घटना की कोई तारीख और समय नहीं बताया है। पीड़िता का आवेदक के साथ एक वर्ष तक संबंध रहा, लेकिन उसने पहले कभी यौन उत्पीड़न की शिकायत नहीं की। बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 193 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। पीड़िता की मां और भाभी के बयानों से यह प्रतीत होता है कि आवेदक और

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पीड़िता लिव-इन रिलेशनशिप में थे और उनके बीच जो भी यौन संबंध बने, वे सभी आपसी सहमति से थे। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि यह एक झूठा मामला है और आवेदक को दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठे और निराधार आरोपों में फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कई अन्य तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। विद्वान अधिवक्ता ने उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है जिनके कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक 23.12.2025 से जेल में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देकर विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय वाद से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का अधिकारी नहीं है।

4. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त वाद प्राप्त करता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक-रामशब्द को मुकदमा अपराध संख्या 307/2025 अंतर्गत धारा 376(2)(एन) आई पी सी, पुलिस स्टेशन- मधुबन, जिला मऊ में, व्यक्तिगत मुचलका भरने और दो स्थानीय जमानतदारों को समान राशि में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं कारित करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का संदेह है।

v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

6. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

23 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"